# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 153/2017

सूर्यकान्त दत्तक पुत्र मिठाराम जाति अग्रवाल निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।
2. बाबूलाल पुत्र नानकराम
3. शशीकान्त पुत्र बाबूलाल
4. सन्दीप कुमार पुत्र शशीकान्त

} जाति अग्रवाल निवासीगण लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 26.04.2017

उपस्थितः—

श्री सुभाष बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

श्री अजीत कुमार अभिभाषक रेस्पों. संख्या 2 से 4

निर्णय दिनांक 18.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट/वादी ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा. का.अ.की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश करने पर अधी.न्यायालय ने दिनांक 06.04.2017 को एक पक्षीय सुनवाई करने के पश्चात चक 27 पी.एस. के मु.नं. 3 नया मु.नं. 1 के 16.10 बीघा की आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये एवं आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की

18/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पालना करने के आदेश दिये गये। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना नहीं करने पर दिनांक 26.04.2017 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने आदेश की पालना में रेस्पों. के रजि.नोटिस पेश कर दिये थे फिर भी अधी.न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करना आज्ञापक प्रावधान है जिसकी पालना नहीं करने पर ही अधी.न्यायालय ने पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अधी.न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधी.न्यायालय ने अपीलांट के पक्ष में एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा तकनीकी आधार सीपीसी के आदेश 39 नियम 3 की पालना नहीं करने की वजह से खारिज की है जबकि अपील मीमों में जाहिर किया है कि पालना कर दी गई थी जो सन्तोषजनक आधार नहीं होने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/1/18
(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर